गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं **I.S.O.-14001-2015** प्रमाणित संस्था

शमन / स्वीकृत पत्र

पत्रांकः 08 /प्रवर्तन जोन–1/2019 दिनांकः 06/3/19

सेवा में,

मैसर्स के.डब्ल्यू. होम्स प्रा0लि0,
बी–97, सैक्टर–63,
नोएडा–201301

विषयः **खसरा संख्या–916/2, 917, 921, 895 898, 866/2, 894, 892, 893, 888/1 एवं 891 ग्राम–सद्दीक नगर, गाजियाबाद पर फुटकर दुकानों के मानचित्र संख्या–316/जोन–1/16, दिनांक 21.09.16 से अतिरिक्त किए गए निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक **खसरा संख्या–916/2, 917, 921, 895 898, 866/2, 894, 892, 893, 888/1 एवं 891 ग्राम–सद्दीक नगर, गाजियाबाद पर फुटकर दुकानों के मानचित्र संख्या–316/जोन–1/16, दिनांक 21.09.16** से अतिरिक्त किये गये निर्माण को शमन कराने हेतु शमन आवेदन दिनांक **19.11.18** पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दिनांक **17.01.19** को स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृति के क्रम में आरोपित शमन शुल्क धनांक **रु0 3,03,58,519.00** जमा किये जाने हेतु डिमांड पत्र संख्या–**525/प्रवर्तन जोन–1/2019, दिनांक 22.01.19** प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया। डिमांड पत्र के सापेक्ष आप द्वारा आरोपित शुल्क **रु0 3,03,58,519.00** (रुपये तीन करोड़ तीन लाख अठावन हजार पांच सौ उन्नीस) के सापेक्ष **रु0 1.00 करोड़** (रुपये एक करोड़) मात्र विजया बैंक, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद में दिनांक **23.01.19** को जमा किये गये हैं तथा अवशेष शमन शुल्क धनांक **रु0 2,03,58,519.00** (रुपये दो करोड़ तीन लाख अठावन हजार पांच सौ उन्नीस) मात्र पर नियमानुसार प्रचलित ब्याज की दर से दिनांक 15.03.19 से प्रारम्भ करते हुए छह माह में (प्रत्येक माहवार) बराबर किश्तों में प्राधिकरण कोष में जमा किये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 28.02.19 को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके फलस्वरूप शमन मानचित्र में विद्यमान निर्माण का निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है :–

प्रतिबन्ध/शर्तें :–

1. आपको पूर्व स्वीकृत मानचित्र एवं शमन मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. दुकानों के अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग को क्रियाशील करना होगा।
3. विकासकर्ता द्वारा अन्तिम शमन/सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से पूर्व शमनित निर्माण की अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में अग्निशमन विभाग से क्रियाशील प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु यदि अग्निशमन विभाग के निर्देश पर भवन का परिवर्तन करना अपरिहार्य हो तो उसका दायित्व विकासकर्ता का होगा। अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

4. स्वीकृत मानचित्र संख्या–316/जोन–1/2015–16, दिनांक 21.09.16 के अनुसार सड़क विस्तार हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल को छोडते हुए बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा।

5. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी वाद–विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

6. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या–316/जोन–1/2015–16, दिनांक 21.09.16 के आंशिक पूर्णता प्रमण पत्र निर्गत किये जाने के समय एवं शमन स्वीकृति के समय प्रस्तुत समस्त शपथ पत्र/वचनबद्धता तथा समस्त शासकीय विभागों से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

7. स्वीकृत पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा। अन्य कोई उपयोग अनुमन्य नहीं होगा।

8. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुए विकास व्यय का अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।

9. वर्तमान में प्रस्तुत शमन मानचित्र के अनुरूप उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट–2010 के प्राविधान के अनुसार संशोधित डीड ऑफ डिक्लरेशन प्रस्तुत करना होगा।

10. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा किसी अन्य दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिये निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरायी होंगे एवं शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी/निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

11. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र दिनांक 31.03.17 एवं स्टेट लेबर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असैसमेन्ट अथॉरिटी उ0प्र0 द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 01.08.17 में समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

12. अवशेष शमन शुल्क धनांक **रु0 2,03,58,519.00** (रुपये दो करोड़ तीन लाख अठावन हजार पांच सौ उन्नीस) मात्र हेतु निर्धारित माहवार किश्तों को जमा न करने की स्थिति में दण्ड बयाज भी देय होगा।

13. शर्त–1 से 12 तक साइट प्लान के पृष्ठ भाग पर चस्पा है।

<u>संलग्नकः शमन मानचित्र का सैट।</u>

सहायक अभियन्ता,
प्रवर्तन जोन–1